दिनाक 13.02.2021
प्रेस विज्ञप्ति—13 / 21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर / थाना दादरी

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस,**
- **01 स्कूटी बरामद**

दिनॉकः 12.02.2021 की रात्रि थाना दादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सर्विस रोड बाईपास दादरी के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त राशिद उर्फ मोटा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 स्कूटी बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट आदि के 36 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना दादरी पर पंजीकृत सीएस एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दादरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

राशिद उर्फ मोटा निवासी गुलावटी जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी—:</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस,

2—01 स्कूटी।

<u>जनपद फतेहगढ/कोतवाली मोहम्मदाबाद</u>

•25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,

•01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस,

•लूट के 04 हजार रूपये नगद

•01 मोटर साइकिल बरामद

दिनॉकः 12.02.2021 की सायं थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नबीगंज धीरपुर मार्ग नगल पंचम के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त पंकज उर्फ रंगोली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, लूट के 04 हजार रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद इटावा के थाना बकेबर में लूट, डकैती, चोरी, हत्या का प्रयास, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना बकेवर जनपद इटावा में पंजीकृत मु0अ0सं0—199/2020 धारा 394/411 भादवि में वॉछित था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मोहम्मदाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः—</u>

पंकज उर्फ रंगोली निवासी टुपियन नगला थाना बकेवर जनपद इटावा।

<u>बरामदगी—:</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस,

2—लूट के 04 हजार रूपये नगद,

3—01 मोटर साइकिल।

<u>जनपद गोण्डा/थाना परसपुर</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **07 हजार रूपये नगद,**
- **चोरी के चॉदी के आभूषण,**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस**
- **चोरी करने के उपकरण आदि बरामद**

दिनॉकः 12/13.02.2021 की रात्रि थाना परसपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर धर्म कॉटा के पास बाग से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—सोनू उर्फ भूर्रे सहित अभियुक्त 2—कल्लू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 07 हजार रूपये नगद, चोरी के चॉदी के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस, चोरी करने के उपकरण आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं। अभियुक्त सोनू उर्फ भुर्रे के विरूद्ध जनपद गोण्डा व आस पास के जनपदो के विभिन्न थानो में चोरी लूट, डकैती, गैंगेस्टर एक्ट, एन0डी0पी0एस0एक्ट आदि के 32 अभियोग तथा अभियुक्त कल्लू के विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानो में चोरी, लूट आदि के 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत है तथा गिरफ्तार अभियुक्त सोनू उर्फ भूर्रे थाना परसपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0—235/2019 धारा 457/380 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना परसपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः–</u>

1–सोनू उर्फ भूर्रे निवासी कादीपुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

2–कल्लू निवासी पासिनपुरवॉ इकनिया मांझा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगीः–</u>

1–07 हजार रूपये नगद,

2–चोरी के चॉदी के आभूषण,

3–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस,

4–चोरी करने के उपकरण आदि।

<u>जनपद बाराबंकी/थाना जहॉगीराबाद</u>

- **पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस,**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनॉकः 12.02.2021 की रात्रि थाना जहॉगीराबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अनखा जंगल के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की गयी फायरिंग में आरक्षी दिनेश घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मेराज अहमद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सतरिख का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जो थाना जहॉगीराबाद के अभियोग में वॉछित चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानो में आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना जहॉगीराबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

मेराज अहमद निवासी मोहल्ला काजियाना कस्बा व थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।

बरामदगी—ः

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस,

2—01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद प्रयागराज/थाना करैली

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **चोरी की 01 बोलेरो वाहन,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 12.02.2021 की सायं थाना करैली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार चेकिंग के दौरान खेदरी नदी पुल के पार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशो ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 01 बदमाश साहिल उर्फ शहनवाज उर्फ मकसूद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य 02 बदमाश मौके से फरार हो गये, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 बोलेरो वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद प्रयागराज के विभिन्न थानो में चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट आर्म्स

एक्ट आदि के 26 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद बोलेरो वाहन थाना कीडगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0—47/2021, धारा 379 भादवि से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना करैली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

साहिल उर्फ शहनवाज उर्फ मकसूद निवासी विषैया थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगीः—

1—चोरी की 01 बोलेरो वाहन,

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद अयोध्या/थाना कोतवाली नगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल बरामद,**

दिनॉकः 13.02.2021 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुष्पराज चौराहे के पास से 02 अभियुक्तों 1—गुड्डू 2—सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 08 मोटर साइकिले बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है, जिनके द्वारा वाहनों की चोरी कर ग्राहक मिलने पर सस्ते दामों पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर अयोध्या पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

1—गुड्डू निवासी हाजीपुर सिंहपुर थाना कैंट जनपद अयोध्या।

2—सोनू निवासी सरियावां थाना पूराकलन्दर जनपद अयोध्या।

बरामदगीः—

चोरी की 08 मोटर साइकिले।

जनपद शाहजहाँपुर/ थाना सेहरामऊ दक्षिणी

●02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,

●चोरी की 07 मोटर साइकिल,

●01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद

दिनाँकः 13.02.2021 को थाना सेहरामऊ दक्षिणी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान शाहाबाद बार्डर पर पुलिस कार्यवाही के दौरान 02 शातिर अभियुक्त 1–बब्लू 2–यूनुस को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है, जो जनपद एवं अन्य राज्यो से वाहन चोरी कर कम कीमत पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना सेहरामऊ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

1–बब्लू निवासी शाहपुर नाऊ थाना लोनार जनपद हरदोई।

2–यूनुस निवासी सिथरई थाना बेहटा गोकुल जनपद हरदोई।

बरामदगीः–

1–चोरी की 07 मोटर साइकिल,

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस

जनपद सीतापुर/ थाना महोली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–12 जनपद सीतापुर द्वारा थाना महोली पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/34 भादवि में 03 अभियुक्तों 1–करन 2–पंकज 3–बंटी को आजीवन कारावास, व 30 हजार के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

———